

केन्द्रीय सूचना आयोग
वावा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/269
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00237
CICOM/R/2018/00894

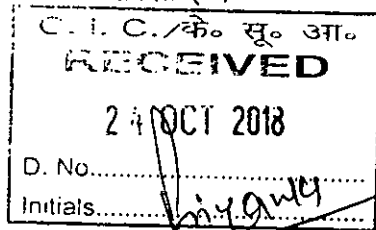
दिनांक: 23.10.2018

अपीलकर्ता : श्री राम बिलास,
2/116 (अब 19/545) शॉप नं. 43,
अनाज मंडी, बहादुरगढ़,
जिला - झज्जर, हरियाणा - 124507.

निर्णय की तारीख: 23.10.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	30.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	24.09.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	08.10.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	476/16.10.2018 (4120/15.10.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 30.08.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आठ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वह प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट हैं या नहीं। साथ ही अपीलकर्ता ने प्रथम अपील में कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जो आर.टी.आई. आवेदन में शामिल नहीं हैं या जिन मामलों का सूचना अधिकारी अधिनियम से कोई संबंध नहीं है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00894 दिनांक 24.09.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रथम अपील आवेदन में केवल आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं एवं प्रदान की गई सूचनाओं पर विचार किया जाता है। प्रथम अपील आवेदन में उल्लिखित अन्य मामलों पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।




(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


24/10/18